



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032023-244360
CG-DL-E-14032023-244360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1175]
No. 1175]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/फाल्गुन 23, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/PHALGUNA 23, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

का.आ. 1223(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 21 अप्रैल, 2022 में का.आ. 1911(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- क. क्रम संख्या 1 के सामने, स्तम्भ संख्या (3) में, “विलुप्पुरम” शब्द के स्थान पर, “विलुप्पुरम के जिले” रखें;
ख. क्रम संख्या 2 के सामने, स्तम्भ संख्या (3) में, “करूर” शब्द के स्थान पर, “करूर के जिले” रखें।

2. यह अधिसूचना तारीख 21 अप्रैल, 2022 से लागू हुई मानी जाएगी।

[अधिसूचना संख्या 13/2023/फा. सं. 285/26/2021-आईटी (अन्वेषण-V)/सी.बी.डी.टी.]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण), सी.बी.डी.टी.

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1911(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

स्पष्टीकारक टिप्पण: इस अधिसूचना के द्वारा, मूल अधिसूचना में नामनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता को स्पष्ट करने के लिए मूल अधिसूचना को संशोधित किया जा रहा है और इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से, किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।